न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 117 / 2023

अनवान : —

1. जगदीश पुत्र श्री श्योदान जाति जाट आयु 55 वर्ष निवासी गांव बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल निवासी आदमपुर मण्डी तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

वादी

बनाम

1. श्योदान पुत्र श्री रामलाल जाति जाट निवासी गांव बेर तहसील भादरा।
2. अशोक पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी गांव बेर तहसील भादरा।
3. सुशीला देवी पुत्री श्योदान जाति जाट निवासी गांव बेर तहसील भादरा।
4. शकुन्तला पुत्री श्योदान जाति जाट निवासी गांव बेर तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपरिथति :— श्री श्रवण सहारण प्रथम वादी
श्री श्रवण सहारण द्वितीय प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 10/07/2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 जेएसएल के खाता संख्या 138 / 129 के मु0न0 53 के किला नं0 11, 12, 20 कुल 0.683है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 श्योदान के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। इसी प्रकार चक 5 जेएसएल के खाता संख्या 371 / 309 के मु0न0 150 के किला नं0 10 / 1, 10 / 2, 11 / 1, 11 / 2, 15, 16, 17 / 1, 17 / 2, 20 / 1, 20 / 2, 21 / 1, 21 / 2, 24 / 1, 24 / 2, 25, मु0न0 151 के किला नं0 11 / 1, 17 ता 24, मु0न0 154 के किला नं0 3 / 1, 3 / 2, 4 / 1, 4 / 2 कुल 4.820है0 जिसमें नहरी 4.680है0, गै0मु0 रास्ता 0.090है0, गै0मु0 खाला 0.050है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 श्योदान के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:48 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 को वकील वादी द्वारा तर्क अंकित किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 3 जेएसएल के खाता संख्या 138/129 के मु0न0 53 के किला नं0 11, 12, 20 कुल 0.683है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 श्योदान के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। इसी प्रकार चक 5 जेएसएल के खाता संख्या 371/309 के मु0न0 150 के किला नं0 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 15, 16, 17/1, 17/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 24/1, 24/2, 25, मु0न0 151 के किला नं0 11/1, 17 ता 24, मु0न0 154 के किला नं0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 कुल 4.820है0 जिसमें नहरी 4.680है0, गै0मु0 रास्ता 0.090है0, गै0मु0 खाला 0.050है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 श्योदान के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के अन्य वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 , 3 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में तर्क कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 3 जेएसएल के खाता संख्या 138/129 के मु0न0 53 के किला नं0 11, 12, 20 कुल 0.683है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 श्योदान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में श्योदान का कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी जगदीश तथा प्रतिवादी सं0 2 अशोक को बहिस्सा बराबर के अनुसार एवं चक 5 जेएसएल के खाता संख्या 371/309 के मु0न0 150 के किला नं0 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 15, 16, 17/1, 17/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 24/1, 24/2, 25, मु0न0 151 के किला नं0 11/1, 17 ता 24, मु0न0 154 के किला नं0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 कुल 4.820है0 जिसमें नहरी 4.680है0, गै0मु0 रास्ता 0.090है0, गै0मु0 खाला 0.050है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 श्योदान के नाम राजस्व रिकॉर्ड है में प्रतिवादी सं0 1 श्योदान का नाम कलमजन किया जाकर वादी जगदीश को 2.6565है0 व प्रतिवादी अशोक को 2.1635है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त ... उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 10/07/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डीक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 117/2023

अनवान : –

1. जगदीश पुत्र श्री श्योदान जाति जाट आयु 55 वर्ष निवासी गांव बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल निवासी आदमपुर मण्डी तहसील आदमपुर जिला हिसार हरियाणा।

वादी

बनाम

1. श्योदान पुत्र श्री रामलाल जाति जाट निवासी गांव बेर तहसील भादरा।
2. अशोक पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी गांव बेर तहसील भादरा।
3. सुशीला देवी पुत्री श्योदान जाति जाट निवासी गांव बेर तहसील भादरा।
4. शकुन्तला पुत्री श्योदान जाति जाट निवासी गांव बेर तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण प्रथम व वकील प्रतिवादी श्री श्रवण सहारण द्वितीय की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 3 जेएसएल के खाता संख्या 138/129 के मु0न0 53 के किला नं0 11, 12, 20 कुल 0.683है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 श्योदान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में श्योदान का कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी जगदीश तथा प्रतिवादी सं0 2 अशोक को बहिस्सा बराबर के अनुसार एवं चक 5 जेएसएल के खाता संख्या 371/309 के मु0न0 150 के किला नं0 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 15, 16, 17/1, 17/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 24/1, 24/2, 25, मु0न0 151 के किला नं0 11/1, 17 ता 24, मु0न0 154 के किला नं0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 कुल 4.820है0 जिसमें नहरी 4.680है0, गै0मु0 रास्ता 0.090है0, गै0मु0 खाला 0.050है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 श्योदान के नाम राजस्व रिकॉर्ड है में प्रतिवादी सं0 1 श्योदान का नाम कलमजन किया जाकर वादी जगदीश को 2.6565है0 व प्रतिवादी अशोक को 2.1635है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:48 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/07/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़